(134)

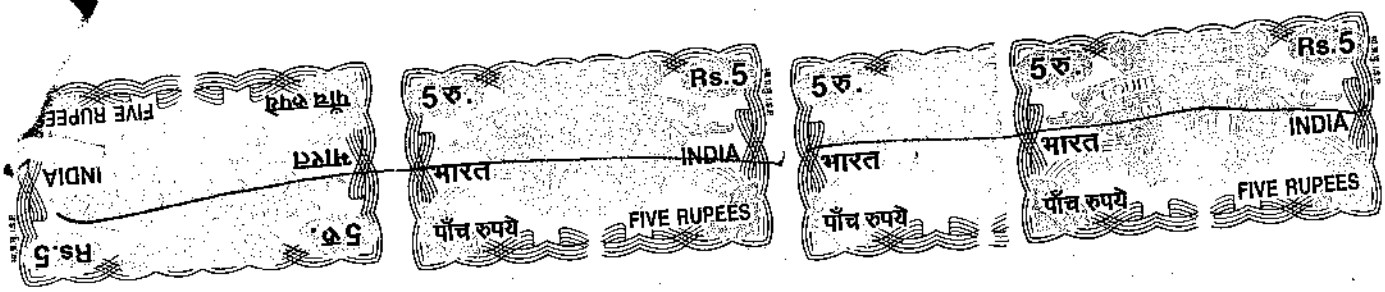

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग–1424–I–16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

अनिल कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार निवासी– मेन मार्केट बडोदा जिला–श्योपुर (म.प्र.)

––आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित (एड.) के द्वारा आज दि 6-5-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–श्योपुर (म.प्र.)

2– तहसीलदार तहसील बडोदा जिला–श्योपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बडौदा द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 12.08.2015 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1424/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-5-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार बडौदा, जिला श्योपुर के नामान्तरण पंजी क्र.16 दिनांक 12.08.2015 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं.1901/1 रकवा 1.818 है0, 1901 रकवा 0.063, सर्वे क्रमांक 2434 रकवा 0.157, सर्व नं. 2436 रकवा 0.136, सर्व नं. 2576 रकवा 0.272 कुल किता 5 कुल रकवा 11 बीघा 14 विस्वा अर्थात 2.446 है0 कस्बा बडौदा तहसील बडौदा, जिला श्योपुर में स्थित है। सम्पूर्ण कृषि भूमि पर आवेदक अनिल कुमार द्वारा पिछले 20 सालों से कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त वादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। इसके अलावा कस्बा बडौदा में ही अन्य सर्वे क्रमांक 3276/1 रकवा	

ही अन्य सर्वे क्रमांक 3276/1 रकवा 2.487, 3277/1 रकवा 0.105 है0, 3285 रकवा 0.261 है0, 3286 रकवा 0.418 है0 3289/1 रकवा 0.115, 3291/1 रकवा 0.094, 3293 रकवा 0.502 है0 स्थित है। जिसमें हेमन्त कुमार पुत्र विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय कुमार का अधिपत्य है तथा राजस्व अभिलेखो में इन्ही के नाम का इन्द्रांज है, जबकि भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1, 1900, 2434, 2436, 2576 कुल रकवा 2.446 है0 आवेदक अनिल कुमार के हिस्से की भूमि है। अनिल कुमार के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का वसीयत नामा निष्पादित किया गया है तथा पूर्वजों द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारे के आधार पर आवेदक एवं हेमन्त कुमार पुत्र विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय कुमार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे है जिसमें हेमन्त कुमार पुत्र विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय कुमार द्वारा कुटरचित फर्जी तरीके से विवादित भूमि की रजिस्ट्री [illegible] 07.2015 को [illegible] [illegible], [illegible] से करवा ली है। उक्त रजिस्ट्री विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार बडौदा की नामान्तरण पंजी क्र.16 दिनांक 12.08.2015 आदेश दिनांक 01.09.2015 से पारित किया गया, जिसके

का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसी नामान्तरण पंजी से व्यथित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3- यह सही है कि तहसीलदार, तहसील बडौदा, नामांतरण पंजी क्र.16 दिनांक 12.08.15 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि नामांतरण पंजी क्र.16 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.04.2016 को ग्राम पटवारी द्वारा बताने पर प्राप्त हुयी थी तत्पश्चात् अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 29.04.2016 को नकल हेतु आवेदन पत्र लगाया एवं उसी दिन नकल प्राप्त हुयी, तब पंजी पर पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 की वास्तविक जानकारी हुयी। वास्तविक जानकारी दिनांक से इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। वसीरवी विरूद्ध अब्दुल वाहव 1983 जे.एल.जे के न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि न्याय हेतु मामला गुणा गुण पर विनिश्चत करना चाहिये। अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये

समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है।

4– विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक बंटवारे में उपरोक्त भूमि प्राप्त हुयी है तथा इस भूमि के संबंध में भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के हित में वसीयतनामा सम्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक वर्तमान प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार थे, ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किये बिना जो नामान्तरण आदेश पारित गया है, जो स्पष्ट रूप से नामांतरण नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि विवादित भूमि पर अपना नामान्तरण करवा लिया है जबकि इस संबंध में आवेदक प्रकरण में हितवद्ध पक्षकार थे ऐसी स्थिति में उन्हे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित किया गया है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 1994 आर. एन. 401 एवं 2007 आर.एन.82 में व्यवस्था दी गयी है कि धारा 109 तथा 110 नामांतरण नियम 27 के अधीन उपबंध अनुसरित किये बिना नामान्तरण

पंजी में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील बडौदा द्वारा नामांतरण पंजी क्र.16 दिनांक 12.09.15 पारित आदेश दिनांक 01.09.15 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1, 1900, 2434, 2436, 2576 कुल रकवा 2.446 है0 पर आवेदक के नाम की पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने के निर्देश सक्षम न्यायालय को दिये जाते हैं।

सदस्य